

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

शबलेश्वर पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन अतिरिक्तीय क्षेत्र चैनपुरा कमेटी अध्यक्ष प्रकाश पिता धर्मचन्द्र महाजन नि. पारोली

बनाम

देवी पिता भुस डोली नि. कोडाज वगैरा

किरम मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 456/2022

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही नम इनिशियल्स अज  | नकाशे व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुई |
|-------------|---|--|
| 05.22       | <p>प्रार्थना पत्र तिगे से बाद जीव रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बहादुरपुरा प. ह. मनोहरपुरा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 173/64 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, आ. न. 173/63 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, आ. न. 173/50 रकबा 0.6480 हैक्टेयर, आ. न. 173/79 रकबा 0.4320 हैक्टेयर, आ. न. 173/62 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, आ. न. 173/90 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आ. न. 173/55 रकबा 0.4320 हैक्टेयर, आ. न. 173/27 रकबा 0.4320 हैक्टेयर, आ. न. 173/74 रकबा 0.4320 हैक्टेयर, आ. न. 173/59 रकबा 0.5616 हैक्टेयर, आ. न. 173/95 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आ. न. 173/24 रकबा 1.1664 हैक्टेयर, आ. न. 173/100 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, आ. न. 173/30 रकबा 0.5184 हैक्टेयर, आ. न. 173/29 रकबा 0.2484 हैक्टेयर, आ. न. 173/98 रकबा 0.3240 हैक्टेयर, आ. न. 173/52 रकबा 0.6480 हैक्टेयर, आ. न. 173/78 रकबा 0.4320 हैक्टेयर, आ. न. 173/92 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आ. न. 173/75 रकबा 0.4320 हैक्टेयर, आ. न. 173/76 रकबा 1.0800 हैक्टेयर, आ. न. 173/91 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आ. न. 173/60 रकबा 0.4320 हैक्टेयर, आ. न. 173/56 रकबा 0.4320 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्द में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम बहादुरपुरा प. ह. मनोहरपुरा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 173/64 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, आ. न. 173/63 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, आ. न. 173/50 रकबा 0.6480 हैक्टेयर, आ. न. 173/79 रकबा 0.4320 हैक्टेयर, आ. न. 173/62 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, आ. न. 173/90 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आ. न. 173/55 रकबा 0.4320 हैक्टेयर, आ. न. 173/27 रकबा 0.4320 हैक्टेयर, आ. न. 173/74 रकबा 0.4320 हैक्टेयर, आ. न. 173/59 रकबा 0.5616 हैक्टेयर, आ. न. 173/95 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आ. न. 173/24 रकबा 1.1664 हैक्टेयर, आ. न. 173/100 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, आ. न. 173/30 रकबा 0.5184 हैक्टेयर, आ. न. 173/29 रकबा 0.2484 हैक्टेयर, आ. न. 173/98 रकबा 0.3240 हैक्टेयर, आ. न. 173/52 रकबा 0.6480 हैक्टेयर, आ. न. 173/78 रकबा 0.4320 हैक्टेयर, आ. न. 173/92 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आ. न. 173/75 रकबा 0.4320 हैक्टेयर, आ. न. 173/76 रकबा 1.0800 हैक्टेयर, आ. न. 173/91 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आ. न. 173/60 रकबा 0.4320 हैक्टेयर, आ. न. 173/56 रकबा 0.4320 हैक्टेयर की पडोसीगण को पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अफसरगड को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2600- रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर जमा करेगा, उसमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। मानना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> |  |

आदेश आज दिनांक 05.2022 को सुले न्यायालय में सुनाया गया।

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी,